-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 05 अभियुक्तों को कारावास सहित कुल 46 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **05 अभियुक्तों को कारावास सहित कुल 46 हजार रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया।

अभियोग-

1. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग- 72/2022 धारा 354/506 भादवि व 9/10 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त प्रेमसागर कुशवाहा पुत्र रामकिशोर निवासी दलपापुरवा मजरा चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा को **05 वर्ष के कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग- 383/2010 धारा 458/580/506 भादवि के 04 अभियुक्तों 1-महादेव पुत्र सत्यनारायण उर्फ सत्तीदीन, 2-बच्चा, 3-सन्तोष व 4-महेश पुत्रगण महादेव निवासीगण समदरियापुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को **03 वर्ष के कारावास व कुल 40 हजार रूपये** के जुर्माने से कराया गया दण्डित।